अति आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : F29(26)NRHM/MMJRK/Jodhpur/09/5523 दिनांक : 3/12/2009

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का प्रारम्भ राज्य में 1 जनवरी 2009 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों के मरीजों का मेडिकल कॉलेज से सम्बन्ध चिकित्सालयों, जिला, उप खण्ड एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आउटडोर एवं इन्डोर में निःशुल्क ईलाज किया जाता है।

इस योजना मे मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबंद्ध चिकित्सालयों में रोग संबंधी उपचार एंव निदान की सुविधा नहीं होने पर राज्य के बाहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ में मरीजों को रैफर भी किया जाता है।

दिनांक 8 जुलाई, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय (वित्त मंत्री) ने विधान सभा में वर्ष 2009–10 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य की पुरानी बीपीएल सूची के जिन लोगों के नाम नई सूची में नहीं आये हैं उनको स्टेट बीपीएल मानते हुए मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। इस परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग ने पत्र क्रमांक प19(2)चिस्वा/2/2009, दिनांक 14.07.2009 के द्वारा यह निर्देश जारी किये हैं कि पुरानी बीपीएल सूची के जिन लोगों के नाम नई बीपीएल सूची में नहीं आये हैं उनको स्टेट बीपीएल मानते हुए मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास आस्था कार्ड है किन्तु वे परिवार बीपीएल में चयनित नहीं हुए हैं तो भी ऐसे आस्था कार्डधारी परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी।

(किशनाराम ईशरवाल)
परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/सैटेलाइट/उप खण्ड चिकित्सालय।
12. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
14. समस्त प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
15. प्रभारी सर्वर रुम को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित को ई मेल करावे का श्रम करावें।

परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना